रजि. सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 3, 1990/श्रावण 12, 1912
No. 324] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 3, 1990/SRAVANA 12, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1990

44/90-सीमाशुल्क (एन टी)

सा.का.नि. 695 (अ) केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण संशोधन नियम, 1990 है ।

(2) ये 31 अक्तूबर, 1990 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) नियम, 1988 के नियम 10 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(1) आयातकर्ता या उसका अभिकर्ता, –

(क) आयातित माल के मूल्य से संबंधित पूर्ण और सही ब्यारों को प्रकट करने हुए घोषणा करेगा ;

(ख) आयातित माल की विनिर्माता या उत्पादक, बीजक उन मामलों में देगा जिनमें माल का आयात, विनिर्माता या उत्पादक से भिन्न किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से किया जाता है ; और

(ग) कोई ऐसी अन्य विवरणियां , जानकारी या दस्तावेज देगा जो इन नियमों के अधीन आयातित माल के मूल्य का अवधारण करने के लिए उचित अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाएं । "

[फा.सं. 467/13/90-सीयु.V(आई.सी.डी.)]

राजकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 1990

44|90-CUSTOMS(NT)

G.S.R. 695(E).—In exercise of powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the customs valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs Valuation (Determinatior of Price of Imported Goods) Amendment, Rules, 1990.

(2) They shall come into force on 31st October, 1990.

2. In rule 10 of the Customs Valuation (Determination of Price of Import ed Goods) Rules, 1988, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substi tuted, namely :—

"(1) the importer or his agent shall furnish—

(a) a declaration disclosing full and accurate details relating to the value of imported goods;

(b) the invoice of the manufacturer or producer of the imported goods in cases where the goods are imported from or through a person other than the manufacturer or producer; and

(c) any other statement, information or document as considered necessary by the proper officer for determination of the value of imported goods under these rules." .

[F. No. 467/13/90-CUS.V(ICD)]

RAJ KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990.